अध्याय-II

लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

अध्याय - II
लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ढांचे के तहत परिकल्पित एवं राज्य सरकार की योजनाओं द्वारा अनुपूरित हैं, में कई पात्रता मानदंड एवं सहायता के स्तर हैं। इसके पश्चात् लाभार्थियों की पहचान, आवेदनों की प्रक्रिया एवं समयबद्ध तरीके से पेंशन के संवितरण में अंतर्निहित डिजाइन व कार्यान्वयन सम्बन्धित चुनौतियां है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए वार्षिक आवंटन में वर्षों से वृद्धि हो रही है। पेंशन योजनाओं के अपेक्षित परिणामों एवं सापेक्ष प्रभाव, जिसका उद्देश्य आर्थिक अभाव को कम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, को प्राप्त करने की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए योजनाओं के परिणामों एवं लाभार्थियों को लाभांतरण की प्रक्रिया का आंकलन करने हेतु राज्य में कार्यान्वित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी।

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की स्थिति की निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की गई थी कि क्या:

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से लाभ वितरित किए गए हैं,
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का कार्यान्वयन डीबीटी दिशानिर्देशों के अनुसार विशेष रूप से इनके संदर्भ में था-

  (क) डीबीटी हेतु पूर्वापेक्षाओं की पूर्ति;

  (ख) डीबीटी दिशा-निर्देशों/अधिसूचनाओं के अनुसार लाभार्थियों को निधियों का अंतरण; तथा

  (ग) ई-कल्याण सॉफ्टवेयर की डिजाइन एवं प्रक्रिया प्रवाह।

2.2 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बेंचमार्क निम्नलिखित से प्राप्त मानदंडों से निर्धारित किए गए थे:

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, 2014 (संशोधित);
- हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010;
- हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009;
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया; तथा
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश।

2.3 लेखापरीक्षा का कार्य-क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

डीबीटी प्रणाली के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पहचान, कार्यान्वयन एवं संवितरण में दक्षता व पर्याप्तता का आंकलन करने के लिए छः[1] (केंद्रीय योजनाएं: तीन व राज्य योजनाएं: तीन)

[1] इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन व दिव्यांग राहत भत्ता

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के संबंध में 2017-21 के दौरान किए गए उच्चतम व्यय के आधार पर विगत चार वर्षों (2017-18 से 2020-21) के अभिलेखों का चयन अक्टूबर 2020 व मार्च 2021 के दौरान विस्तृत जांच के लिए किया गया। निदेशक (अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक मामलों और विशेष रूप से सक्षम के सशक्तिकरण के लिए निदेशालय), 12 जिला कल्याण अधिकारिओं में से चार[2] (33 *प्रतिशत*) एवं चयनित जिला कल्याण अधिकारियों के अधीन 31 में से 11 तहसील कल्याण अधिकारियों[3] के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में नमूना-जांच की गई। 11 तहसील कल्याण अधिकारियों के अंतर्गत आने वाली कुल 59 ग्राम पंचायतों **(परिशिष्ट-3)** के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से संबंधित अभिलेखों को नमूना-जांच एवं लाभार्थी सर्वेक्षण हेतु यादृच्छिक रूप से चयन किया गया था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतिम चरण पर वितरण के आंकलन हेतु कुल 595 लाभार्थियों[4] का सर्वेक्षण किया गया। चयनित जिलों एवं तहसीलों का सचित्र वर्णन नीचे दर्शाया गया है:

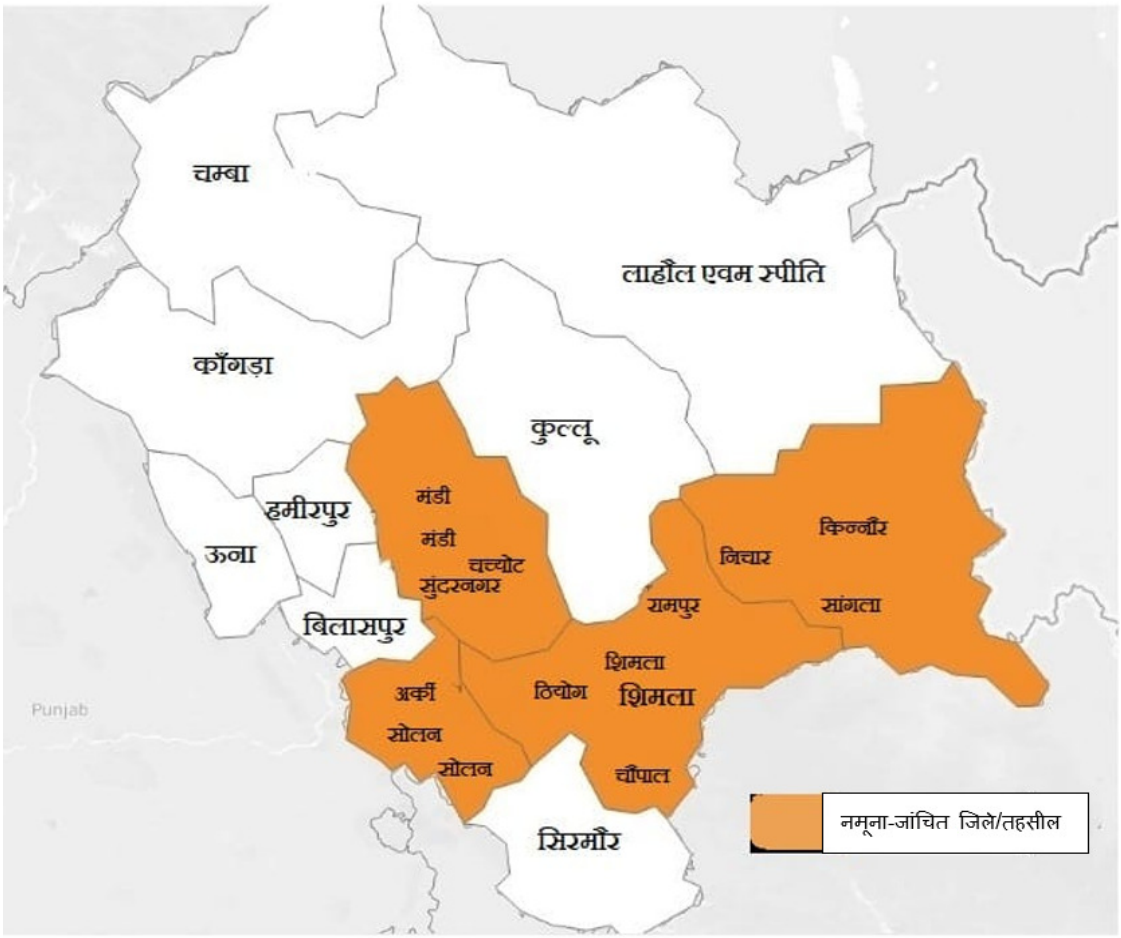

2 किन्नौर, मंडी, शिमला व सोलन; निर्णयात्मक नमूने के आधार पर चयन (कोविड महामारी के प्रसार के कारण शिमला जिले के समीपवर्ती)

3 किन्नौर: भावानगर स्थित निचार व सांगला; मंडी: चच्योट, मंडी सदर व सुंदरनगर; शिमला: चौपाल, रामपुर, ठियोग व शिमला - ग्रामीण; तथा सोलन: अर्की व सोलन को आईडिया में रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से चुना गया (इंटरएक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस - डेटा एनालिसिस एवं सैंपलिंग के लिए सॉफ्टवेयर)

4 किन्नौर: 108, मंडी: 212, शिमला: 147 व सोलन: 128

विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए क्लाइंट-सर्वर-आधारित ई-कल्याण सॉफ्टवेयर के डेटा डंप (सॉफ्टवेयर ग्रहण करने के बाद से पिछले डेटा सहित सक्रिय लाभार्थियों का डेटा) का विश्लेषण भी राज्य के सभी 12 जिलों के संबंध में किया गया।

इसके अतिरिक्त नमूना-जांचित चार जिलों[5] के वेब आधारित ई-कल्याण साफ्टवेयर (अक्टूबर 2020-मार्च 2021) में लाभार्थियों के चयन एवं पात्रता के अनुसार पेंशन के वितरण का आंकलन करने के लिए प्रश्नों को चलाकर विश्लेषण किया गया था। डीबीटी प्रोटोकॉल के अनुसार पेंशन के वितरण का आंकलन करने के लिए राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ के अभिलेखों की भी संवीक्षा की गई।

10 दिसंबर 2020 को अपर मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) व निदेशक (अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक मामलों और विशेष रूप से सक्षम के सशक्तिकरण के लिए निदेशालय) के साथ आरंभिक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदंड, कार्यप्रणाली, कार्यक्षेत्र एवं नमूने पर चर्चा की गई। 13 अप्रैल 2022 को अपर मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) के साथ अंतिम बैठक आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं सिफारिशों पर चर्चा की गई। विभाग के विचारों व उत्तरों को प्रतिवेदन में यथोचित रूप से शामिल किया गया है।

2.4 आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश, लेखापरीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर विभागीय पदाधिकारियों/ प्राधिकारियों एवं लाभार्थियों द्वारा दिए गए सहयोग व सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

2.5 लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संघटन

लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं सिफारिशें सात अध्यायों में अंतर्विष्ट हैं:

- **अध्याय - III कवरेज एवं वित्तीय प्रबंधन** से संबंधित निष्कर्षों की जानकारी देता है।
- **अध्याय - IV** में **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ढांचे के अनुपालन** से संबंधित निष्कर्ष शामिल हैं।
- **अध्याय - V एवं अध्याय - VI** में **सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया एवं आईटी एप्लीकेशन के विश्लेषण** से संबंधित निष्कर्ष शामिल हैं।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के संगठन एवं प्रबंधन** की स्थापना से संबंधित निष्कर्षों पर **अध्याय - VII** में चर्चा की गई है।
- **मानव संसाधन प्रबंधन एवं निगरानी** से संबंधित मामले **अध्याय - VIII** में दिए गए हैं।
- **अध्याय - IX** में लेखापरीक्षा **निष्कर्ष** निहित हैं।

[5] किन्नौर, मंडी, शिमला व सोलन